



संख्या : 4943 / जी०ए०(शिक्षा) / A11-277/2026

प्रेषक,

रीना जोशी,
कुलाधिपति के अपर सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय : उत्तराखण्ड

देहसदून दिनांक 10 अगस्त, 2026

महोदय,

कृपया श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय द्वारा एफिलिएशन पोर्टल पर प्रेषित प्रस्ताव, पंजीकरण क्रमांक 260514052000, दिनांक 09.06.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें राजकीय महाविद्यालय, तेगड़ (लोस्तु बडियार), टिहरी गढ़वाल को बी०ए० पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2026-27 से नवीन अस्थायी सम्बद्धता प्रस्ताव संस्तुति सहित इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2- उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल की आख्या, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम-2011 (यथा संशोधित) के अध्याय-06 की धारा-33(1) के अन्तर्गत महाविद्यालय को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रमों, सीटों एवं अवधि के साथ नवीन अस्थायी सम्बद्धता प्रस्ताव पर मा० कुलाधिपति द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान की गई है :-

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	अस्थायी सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
01	राजकीय महाविद्यालय, तेगड़ (लोस्तु बडियार), टिहरी गढ़वाल।	बी०ए० (हिन्दी, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान)	60 सीट प्रति विषय	2026-27

- निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, U.G.C. विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा० कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ 02 माह में उपलब्ध करायें।
- विश्वविद्यालय, शासन से समन्वय स्थापित करते हुए महाविद्यालय में भवन निर्मित करवाने एवं पुस्तकें मानकानुसार पूर्ण करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगा, जिससे प्रश्नगत महाविद्यालय में प्रवेशित होने वाले छात्रों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
- अग्रेतर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव U.G.C. विनियम/नियामक संस्था एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे अन्यथा की स्थिति अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा,

जिसका पूर्ण दायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

Digitally signed by
Reena Joshi
Date: 10-08-2026
15:51:52
कुलाधिपति के अपर सचिव।

संख्या : 4943/जी0एस0(शिक्षा)/A11-277/2026 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य- सम्बन्धित संस्थान।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

Digitally signed by आज़ा से,
Anup Singh Negi
Date: 10-08-2026
15:56:39
(अनूप सिंह नेगी)
कुलाधिपति के अनुसचिव।